



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062022-236354
CG-DL-E-06062022-236354

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2022/ज्येष्ठ 16, 1944

No. 07]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2022/JYAISHTHA 16, 1944

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

का.नि.आ. 7(अ).— केंद्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना सेरिमोनियल, सेवा शर्त और प्रकीर्ण विनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना सेरिमोनियल, सेवा शर्त और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना सेरिमोनियल, सेवा शर्त और प्रकीर्ण विनियम, 1963 के विनियम 179 में,—

(i) उपविनियम (3) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

(ii) उपविनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3)(क). केंद्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में, ऐसे अधिकारी जो वाइस एडमिरल या एडमिरल के रूप में सेवारत हो या ऐसा अधिकारी जो वाइस एडमिरल या एडमिरल की रैंक से सेवानिवृत्त हुआ हो किन्तु उसकी आयु ऐसी नियुक्ति की तारीख को बासठ वर्ष से अधिक की न हो, की नियुक्ति कर सकेगी:

परन्तु, केन्द्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेवा का अधिकतम पैंसठ वर्ष की आयु के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तार कर सकेगी।”

[फा. सं. 9/1/2017-पीओ (रक्षा) – भाग 1]

सतीश सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : इन विनियमों को अंतिम बार का.नि.आ. 19(अ) तारीख 28 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022.

S.R.O. 7(E).—In exercise of powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 179 of the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963, -

(i) the proviso to sub-regulation (3) shall be omitted;

(ii) after sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely:-

“(3)(a). The Central Government may, if considered necessary, in public interest, so to do, appoint as Chief of Defence Staff, an officer who is serving as Vice Admiral or Admiral or an officer who has retired in the rank of Vice Admiral or Admiral but has not attained the age of sixty-two years on the date of appointment:

Provided that the Central Government may, if considered necessary, in public interest, so to do, extend the service of the Chief of Defence Staff for such period as it may deem necessary subject to a maximum age of sixty-five years.”

[F. No. 9/1/2017-PO(Def)-Part I]

SATISH SINGH, Jt. Secy.

Note : The regulations were last amended, vide S.R.O. 19(E) dated the 28th December, 2019.